



कार्य परिषद की कार्यवाही

दिनांक 27, अगस्त 2021 को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में कार्य परिषद की आहूत 22वीं बैठक की कार्यवाही बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहें।

क्रम	अधिकारियों/शिक्षकों का नाम	पदनाम
1.	प्रो० अनिल कुमार शुक्ला, मा० कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो० हरिहर प्रसाद शुक्ल, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	सदस्य
3.	प्रो० सूर्य प्रसाद दीक्षित, पूर्व अध्यक्ष-हिन्दी विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, डी-54, निरालानगर, लखनऊ।	"
4.	प्रो० अरूनभ चटर्जी, एम.एस.-1/12, सेक्टर-ए, सीतापुर रोड, स्कीम लखनऊ।	"
5.	प्रो० मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष-कला एवं मानविकी	"
6.	प्रो० एस०एस०ए० अशरफी, संकायाध्यक्ष-विज्ञान	"
7.	प्रो० एहतेशाम अहमद, आचार्य-वाणिज्य विभाग, सदस्य-अन्य पिछड़ा वर्ग	"
8.	डॉ० ततहीर फातिमा, सह आचार्य-गृह विज्ञान, सदस्य-अन्य पिछड़ा वर्ग	"
9.	प्रो० फखरे आलम, आचार्य-उर्दू विभाग	"
10.	प्रो० सौबान सईद, आचार्य-उर्दू विभाग	"
11.	डॉ० प्रवीण कुमार राय, सह आचार्य-भूगोल	"
12.	डॉ० जमाल शब्बीर रिज़वी, सह आचार्य-उर्दू	"
13.	डॉ० मोहम्मद अकमल, सहायक आचार्य-उर्दू	"
14.	डॉ० मुतर्जा अली अतहर, सहायक आचार्य-उर्दू	"
15.	श्री प्रवीण कुमार त्रिपाठी, वित्त अधिकारी	आमंत्रित सदस्य
16.	श्री संजय कुमार, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम माननीय कुलपति जी द्वारा कार्य परिषद के समस्त उपस्थित सदस्यगण एवं ऑनलाईन जुड़े सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उनसे परिचय प्राप्त किया गया तत्पश्चात कुलसचिव को बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। कार्य परिषद द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर बिन्दुवार निम्नांकित निर्णय लिये गये-

बिन्दु सं०-1 कार्यपरिषद की 21वीं बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2021 एवं आकस्मिक बैठक दिनांक 12 मार्च, 2021 की संलग्न कार्यवाही के सम्पुष्टिकरण पर विचार।

परिषद द्वारा पूर्व में कार्यपरिषद की समपन्न 21वीं बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2021 एवं आकस्मिक बैठक दिनांक 12 मार्च, 2021 की कार्यवाही को यथावत सम्पुष्ट



ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)



किया गया।

बिन्दु सं0-2 कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2021 एवं आकस्मिक बैठक दिनांक 12 मार्च, 2021 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही की आख्या (Action Taken Report)।

कार्य परिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2021 एवं आकस्मिक बैठक दिनांक 12 मार्च, 2021 में लिये गये निर्णयों पर प्रस्तुत कृत कार्यवाही आख्या (Action Taken Report) से कार्य परिषद् संसूचित हुई।

बिन्दु सं0-3 वित्त समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 09 अगस्त, 2021 में लिये गये निर्णयों के अनुमोदन पर विचार।

वित्त समिति की दिनांक 09 अगस्त, 2021 को सम्पन्न आकस्मिक बैठक एवं 15वीं बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2021 में लिये गये निर्णयों पर कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-4 विद्या परिषद् की पूर्व में सम्पन्न बैठक दिनांक 16 अगस्त, 2021 की संलग्न कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

विद्या परिषद् की दिनांक 16 अगस्त, 2021 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों पर कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं0-5 शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु "साक्षात्कार एवं पारदर्शिता" लाने के उद्देश्य से माननीय कुलाधिपति महोदया के आदेश संख्या-ई-3019/32-जी0एस0/2020, दिनांक 18 मई, 2021 एवं आदेश संख्या-ई-4229/जी0एस0, दिनांक 02 जुलाई, 2021 से परिषद् को संसूचित किया जाना।

कार्यपरिषद् द्वारा शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु "साक्षात्कार एवं पारदर्शिता" के दृष्टिगत माननीय कुलाधिपति महोदया के आदेश संख्या-ई-3019/32-जी0एस0/2020, दिनांक 18 मई, 2021 एवं आदेश संख्या-ई-4229/जी0एस0, दिनांक 02 जुलाई, 2021 से संसूचित हुई तथा उक्त आदेश के अर्न्तगत ही विश्वविद्यालय स्तर पर कार्यवाही किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

बिन्दु सं0-6 डॉ0 सबीना बानो, पूर्व सहायक आचार्य, भूगोल (वर्तमान में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सेवारत) को कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत स्टेज-1 से स्टेज-2 पर पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु चयन समिति/स्क्रीनिंग समिति के समक्ष आमंत्रित किये जाने पर विचार।

परिषद् द्वारा डॉ0 सबीना बानो, पूर्व सहायक आचार्य, भूगोल (वर्तमान में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में सेवारत) को कैरियर एडवांसमेंट योजनान्तर्गत स्टेज-1 से स्टेज-2 पर पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु स्क्रीनिंग समिति के समक्ष आमंत्रित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।



बिन्दु सं०-7 स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु अवकाश अनुमन्य कराये जाने हेतु अवकाश नियमावली तैयार किये जाने कए विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति की संस्तुति पर विचार।

परिषद द्वारा विश्वविद्यालय मे स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों हेतु अवकाश नियमावली तैयार किये जाने हेतु माननीय कुलपति द्वारा गठित समिति की संस्तुतियों को यथावत अनुमोदित किया गया।

बिन्दु सं०-8 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत बायोटेक्नोलॉजी की सहायक आचार्य-डॉ० उज़मा शहाब की दिनांक 07 नवम्बर, 2020 से निरंतर अनुपस्थिति के उपरान्त उनके द्वारा दिनांक 07 जुलाई 2021 को दिये गये त्यागपत्र को स्वीकार किये जाने पर विचार।

अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के अन्तर्गत बायोटेक्नोलॉजी की सहायक आचार्य-डॉ० उज़मा शहाब की दिनांक 07 नवम्बर, 2020 से निरंतर अनुपस्थिति के उपरान्त उनके द्वारा दिनांक 07 जुलाई 2021 को दिये गये त्यागपत्र को परिषद द्वारा स्वीकार किया गया।

बिन्दु सं०-9 डॉ० आकिल हुसैन, सहायक आचार्य-वाणिज्य के पद पर चयन दिनांक 22-08-2020 के उपरान्त कार्यभार ग्रहण न किये जाने एवं अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित अन्तिम प्रत्यावेदन दिनांक 13-06-2021 को मा० कुलपति जी द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है, से कार्य परिषद को संसूचित किया जाना।

डॉ० आकिल हुसैन का सहायक आचार्य-वाणिज्य के पद पर चयन दिनांक 22-08-2020 के उपरान्त कार्यभार ग्रहण किये जाने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने हेतु प्रेषित प्रत्यावेदन दिनांक 13-06-2021 जिसे माननीय कुलपति जी द्वारा अस्वीकार किया जा चुका है, पर कार्य परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-10 डॉ० बुशरा अलवेरा, सहायक आचार्य, शिक्षाशास्त्र को एन०सी०सी० प्रशिक्षण हेतु दिनांक 26,जुलाई, 2021 से 23 अक्टूबर, 2021 तक 03 माह का अध्ययन अवकाश स्वीकृत किये जाने पर विचार।

डॉ० बुशरा अलवेरा, सहायक आचार्य-शिक्षाशास्त्र को एन०सी०सी० प्रशिक्षण हेतु दिनांक 26,जुलाई, 2021 से 23,अक्टूबर, 2021 तक 03 माह का अध्ययन अवकाश जिसे माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृत किये जा चुका है को परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु सं०-11 स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय के बायोटेक्नोलॉजी में सह आचार्य के पद पर चयनित डॉ० हुमा मुस्तफा के कार्यभार ग्रहण न किये जाने के फलस्वरूप चयन सूची के प्रतीक्षा क्रमांक-1 पर डॉ० ममता शुक्ला को कार्यभार ग्रहण कराये जाने पर विचार।

डॉ० हुमा मुस्तफा के कार्यभार ग्रहण न किये जाने के फलस्वरूप प्रतीक्षा सूची के क्रमांक-1 पर डॉ० ममता शुक्ला को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित अभियांत्रिकी



ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत) Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)



एवं प्रौद्योगिकी संकाय के बायोटेक्नोलॉजी विभाग में सह-प्रोफेसर के पद पर वेतन रु0 1,31,000/- प्रतिमाह नियत वेतन पर कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति परिषद द्वारा प्रदान की गयी।

बिन्दु सं0-12 श्री पी0एस0 चौधरी, वित्त अधिकारी, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर को उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(घ) एवं विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली 2015 के अध्याय-6 के बिन्दु-6.01 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की वित्त समिति का, एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों तक के लिए सदस्य के रूप में बनाये जाने सम्बन्धी पत्र संख्या-73/भा.विवि/वि.अ.का./2021/31/10(2), दिनांक 14 जुलाई, 2021 का कार्योत्तर अनुमोदन।

श्री पी0एस0 चौधरी, वित्त अधिकारी, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर को विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली 2015 के अध्याय-6.01 के अन्तर्गत माननीय कुलपति जी द्वारा नामित वित्त समिति का, एक वर्ष के लिए सदस्य के रूप में नामांकन पर परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान की गयी।

बिन्दु सं0-13 डॉ0 अताउर्रहमान, सहायक आचार्य-व्यवसाय प्रशासन विभाग को कैरियर एडवांसमेन्ट योजना के अन्तर्गत स्टेज-1 से स्टेज-2 पर पदोन्नति किये जाने पर विचार।

परिषद द्वारा डॉ0 अताउर्रहमान, सहायक आचार्य-व्यवसाय प्रशासन विभाग को कैरियर एडवांसमेन्ट योजना के अन्तर्गत स्टेज-1 से स्टेज-2 पर अर्हता की तिथि (Date of Eligibility) से पदोन्नति किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं0-14 स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों के मानक आदि के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या-226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 को अंगीकृत करते हुए परिनियमावली में यथास्थान सम्मिलित किये जाने पर विचार।

स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत पाठ्यक्रमों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन एवं सेवा शर्तों के मानक आदि के सम्बंध में निर्गत शासनादेश संख्या-226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018, दिनांक 13 मार्च 2020 को अंगीकृत करते हुए परिनियमावली में 11.12.11क(क) पर सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्ताव राज्यपाल सचिवालय को भेजे जाने का निर्णय लिया गया।

अन्य बिन्दु अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।

बिन्दु सं0-1 प्रो0 मसऊद आलम के कार्यभार ग्रहण की तिथि के सम्बंध में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 05-02-2020 के बिन्दु संख्या-44.7 में लिये गये निर्णय के अनुपालन में विश्वविद्यालय अधिवक्ता से प्राप्त विधिक परामर्श दिनांक 25-08-2021 पर निर्णय लिये जाने के सम्बंध में।

प्रकरण पर चर्चा से पूर्व प्रो0 मसऊद आलम सभाकक्ष से उठ कर बाहर चले गये। प्रो0 मसऊद आलम के कार्यभार ग्रहण तिथि के सम्बंध में कार्य परिषद की बैठक दिनांक 05 फरवरी, 2020 के बिन्दु संख्या-44.7 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में विश्वविद्यालय के अधिवक्ता से प्राप्त विधिक परामर्श का अवलोकन एवं उसपर विचार



ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)



किया गया। परिषद द्वारा सर्वसम्मति से यह मत व्यक्त किया गया कि किसी भी शिक्षक द्वारा एक बार कार्यभार ग्रहण करावाये जाने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण की तिथि में परिवर्तन किया जाना विधिराम्यत नहीं है।

परिषद द्वारा विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से सम्बन्धित शिक्षक की कार्यभार ग्रहण की तिथि दिनांक 18.04.2013 मानते हुए समस्त सेवा सम्बन्धित लाभ यथा वेतन एवं वरिष्ठता आदि उक्त तिथि से प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

समिति द्वारा यह भी विनिश्चय किया गया कि भविष्य में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों पर चयनित शिक्षकों को सभी अनिवार्य प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जाये।

बिन्दु सं०-2 वाणिज्य विभाग में सहायक आचार्य (अन्य पिछडा वर्ग) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु कार्य परिषद् की 19वीं बैठक दिनांक 22-08-2020 के बिन्दु संख्या-4 के क्रमांक-7 पर अनुमोदित चयन प्रतीक्षा सूची के क्रमांक 1 पर अंकित डॉ० जैबुन निसा को कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या-18402/2021 में पारित आदेश दिनांक 24-08-2021 पर निर्णय लिये जाने पर विचार।

परिषद द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में डॉ० जैबुन निसा द्वारा योजित रिट सं०-18402/2021 में पारित आदेश दिनांक 24.08.2021 के क्रम में विचार विमर्श के उपरान्त डॉ० जैबुन निसा को (चयनित अभ्यर्थी डॉ० आकिल हुसैन द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने के कारण) वाणिज्य विभाग में सहायक आचार्य (अन्य पिछडा वर्ग), के पद पर पे-बैंड रु० 15600/- से रु० 39100/- ए०जी०पी० रु० 6000/- (7वे वेतनमान के पे-मैट्रिक्स में एकैडमिक लेवल -10) पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

परिषद ने यह भी निर्णय किया कि यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ में योजित याचिका संख्या-11723/2020(s/s), डॉ० आशीष कुमार बनाम स्टेट आफ यू०पी० एण्ड अदर्स में पारित आदेश के अधीन होगी।

बिन्दु सं०-3 अध्यादेश समिति द्वारा तैयार किये गये Doctor of Philosophy (Ph.D.) Ordinance के आलेख्य पर विचार :

परिषद ने अध्यादेश समिति द्वारा तैयार Doctor of Philosophy (Ph.D.) Ordinance के आलेख को अनुमोदित किया तथा अध्यादेश पर माननीय कुलाधिपति की स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु सं०-4 नैक मूल्यांकन की तैयारी हेतु 7 बिन्दुओं के की-इन्डीकेटर्स पर विवरण संकलित कर तैयार किये जाने हेतु मा० कुलपति जी द्वारा गठित समिति से परिषद् को संसूचित किया जाना।

परिषद नैक मूल्यांकन की तैयारी हेतु 7 बिन्दुओं के की-इन्डीकेटर्स पर विवरण संकलित कर तैयार किये जाने हेतु मा० कुलपति जी द्वारा गठित समिति से परिषद् को संसूचित हुई।

बिन्दु सं०-5 राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या-ई-3354/जी०एस०, दिनांक 28 मई, 2021



ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow, U.P. (India)



के अनुपालन में मा० कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित महिला अध्ययन से परिषद् को संसूचित किया जाना।

परिषद् राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या-ई-3354/जी०एस०, दिनांक 28 मई, 2021 के अनुपालन में मा० कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित महिला अध्ययन से परिषद् को संसूचित हुई।

बिन्दु सं०-6 विश्वविद्यालय परिसर स्थित विभिन्न भवनों के नामकरण के सम्बन्ध में विचार।

परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय के भवनों के नामकरण हेतु परिषद् के सदस्य प्र० सूर्य प्रकाश दीक्षित की अध्यक्षता में एक समिति गठित किये जाने हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

बिन्दु सं०-7 विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को इस विश्वविद्यालय की सेवाओं में जोड़ने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति से परिषद् को संसूचित किया जाना।

परिषद् विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों द्वारा पूर्व में की गयी सेवाओं को इस विश्वविद्यालय की सेवाओं में जोड़ने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय स्तर पर गठित समिति से परिषद् को संसूचित हुई तथा परिषद् द्वारा अपेक्षा की गयी कि समिति की संस्तुतियों को परिषद् की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

बिन्दु सं०-8 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना संख्या-271 दिनांक 18 जुलाई, 2018 के बिन्दु संख्या-19.01 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षकों को पी. एच०डी० हेतु प्रोत्साहन वेतन वृद्धि प्रदान किये जाने पर विचार।

परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना संख्या-271 दिनांक 18 जुलाई, 2018 के बिन्दु संख्या-19.01 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शिक्षकों को पी.एच०डी० हेतु प्रोत्साहन वेतन वृद्धि आगामी माह से प्रदान किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गयी।

बिन्दु सं०-9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत शासन के निर्देशानुक्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर गठित की गयी विभिन्न समितियों के नियम बनाये जाने पर विचार।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत शासन के निर्देशानुक्रम में विश्वविद्यालय स्तर पर गठित की गयी विभिन्न समितियों से परिषद् संसूचित हुई तथा परिषद् ने समितियों से सम्बंधित एवं प्रस्तुत नियमावली पर अनुमोदन प्रदान किया।

बिन्दु सं०-10 कुलसचिव ने विश्वविद्यालय परिसर स्थित आवासों के आवंटन हेतु माननीय कुलपति महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा तैयार की गयी आवास आवंटन नियमावली परिषद् अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी जिसपर परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि नियमावली लागू किये जाने से पूर्व इसका पुनः परीक्षण करा लिया जाए।

अंत में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यपरिषद् की बैठक सम्पन्न हुई।

(संजय कुमार)
कुलसचिव
Khwaja Moinuddin Chishti
Language University, Lucknow

(प्र० अनिल कुमार शुक्ला)
कुलपति / अध्यक्ष

ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती